N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0055 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 11/03/2025 18:06 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 07/03/2025 **Date To (दिनांक तक):** 10/03/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 17:00 बजे **Time To (समय तक):** 13:16 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 11/03/2025 **Time (समय):** 14:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 11/03/2025 18:06:18 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 122 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** KARYALYA PARISAR GSS GORCHIYA, BERA AAUN JILA FALODI

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** CHUNARAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** GOPARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2001 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM GORCHHIYA KA BERA, AAU, फलौदी, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM GORCHHIYA KA BERA, AAU, फलौदी, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BAJRANG DAS		पिता:KAN DAS	1. CHAK 3 BPM,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		14,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 14,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर विषयः- रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो गिरफतार करवाने बाबत। महोदय जी, मैं चुनाराम पुत्र गोपाराम जाति जाट उम्र 24 साल पेशा खेती निवासी गोरछिया का बेरा (आउ) तसील आउ जिला फलौदी का रहने वाला हू। गांव गोरछिया बेरा की सरहद में मेरे स्वयं, मेरे पिताजी गोराराम, मेरे काका बींजाराम के नाम की करीब 500 बीघा जमीन आई हुई है। उक्त जमीन हमने कुल 7 टुबेल कर रखी है जिस पर विधुत कनेक्शन मेरे पिताजी एव काका के नाम ले रखे है। हमारे गोरछिया बेरा ळण्ैण्ै के करीब सभी टुबैलो पर मीटर खराब हो रखे है। जिसके कारण अन्य टुबैलो के साथ ही मेरी 7 टुबेलो पर भी हर दो महीने बाद संबधित लाईनमैन श्री बजंरग दास आस्त रीडिंग लेकर बिल जारी करता है। जीस मे मेरी प्रतिएक टुबैल पर 4800-5500 राशि का आता है। माह नवम्बर दिसम्बर के बिल की राशि ज्यादा आने पर बजंरगदास से मिला तो उसने औसत राशि का बिल जारी करने की एवज मे रिश्वत राशि की मांग की मगर मैने उस वकत मेने राशि नही दी। अत माह जनवरी फरवरी 2025 का बिल ओस्त राशि का बिल जारी कर बजरंगदास मेरे घर आकर बिल मुझे देकर कहा कि मेने आपके टुबेल का बील ओसत राशि का जारी किया है मगर आपने पहले भी कहा कर पैसे नही दिये है। फिर भी मेने आपके बिलो की राशि कम नीकाली है मगर अब आप पर टूबैल 2000 रूपय दोगे तो ही ओस्त राशि का बील जारी करूंगा नही तो पहले की तरह ज्यादा राशि का बिल निकालूंगा कहकर धमकाया अवम बिल की राशि कम निकले कि एवज मे 14000 रूपय 7 टुबैला की रिश्वत राशि मांग रहा है। में बजरंगदास लाईनमैन को मेरे जायज काम की एवज मै रिश्वत राशि नही देकर उन्हे रिश्वत लेते हुए पकडवाकर कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हू। कानुनी कारवाही करावे। दिनांक 07/03/2025 एसडी. चुनाराम एसडी विजय पारीक भवदीय 10/03/2025 चुनाराम गोरच्छिया पुत्र गोपाराम निवासी गोरचिया बेरा तहसील आउ जिला फलोदी मो. न. - [redacted] एसडी नरपतसिंह भाटी एसडी पदमपालसिह दिनांक 10.03.2025 07.03.2025 कार्यवाही पुलिस दिनांक 07.03.2025 समय 0500 पी.एम. इस समय परिवादी श्री चुनाराम पुत्र गोपाराम जाति जाट उम्र 23 वर्ष निवासी गोरछियो का बेरा आउ जिला फलौदी ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर में उपस्थित होकर मन्पदमपाल सिह निरीक्षक पुलिस के समक्ष एक हस्तलिखित रिपोर्ट उपरोक्त तथ्यों की पेश की एवं दरियाफ्त पर बताया कि ग्राम आउ की सरहद मे मेरे पिताजी एव चाचा के नाम 500 बीघा जमीन होकर उक्त जमीन पर 7 टयुबवैल करवा रखी है। उक्त टयुबवैलो के औसत बिल 4800-5500 रूप्ये आता है माह नवम्बर -दिसम्बर मे बिल राशि ज्यादा आने से हमारे गोरछिया बेरा जीएसएस के लाईनमैन श्री बजंरग दास से मिले तो उन्होने बिल समय पर निकालने की एवज मे प्रति टयुबवैल 2000 रूपये के हिसाब से 14,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की है। मैं श्री बजरंगदास लाईनमैन को अपने जायज काम की एवज में रिश्वत नहीं देना चाहता एवं कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूं साथ ही अपनी रिपोर्ट में अंकित तथ्य सही होना तथा रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना बताया। साथ ही बताया कि उक्त जमीन पर मेरे पिताजी गोपाराम के नाम चार टयुबवैल एवं मेरे चाचाजी बींजाराम के नाम तीन टयुबवैल है। जो पढे लिखे नही है। जिस कारण उन्होने मुझे उपरोक्त कार्यवाही करवाने हेतु कहा है तथा मै भी कम पढा लिखा होने के कारण लिखा पढी करना नही आता है इसलिये मैने उक्त रिपोर्ट मेरे विश्वसनीय मामा के लडके श्री मगराज से लिखवाकर लाया हू। परिवादी श्री चुनाराम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं दरियाफ्त से प्रथम दृष्टया मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने पर रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया गया। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के राजकार्य से कार्यालय से बाहर होने से समस्त हालात जरिये फोन निवेदन किये गये जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये। वक्त 06.00 पी.एम. परमन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 की उपस्थिति प्राप्त कर उनको बुलाने के मन्तव्य से अवगत कराया तथा कानि. प्रकाश व परिवादी श्री चुनाराम का आपस मे परिचय करवाया जाकर मोबाईल नम्बरों का आपस में आदान-प्रदान करवाया गया। तत्पश्चात ब्यूरो कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर (डीवीआर) मय नया मैमोरी कार्ड मंगवाया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर की संचालन विधि परिवादी श्री चुनाराम व कानि. प्रकाश को समझाईश की गई एव डिजिटल वायॅस रिकार्डर मय नया मेमारी कार्ड श्री प्रकाश कानि को सुपुर्द कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। चुकि आज कार्यालय समय से ज्यादा समय हो जाने के कारण एव रात्रि मे अग्रिम सत्यापन की कार्यवाही संभव नही होने के कारण रिश्वत राशि मांग

सत्यापन कल दिनांक 08.03.2025 को करवाये जाने का निर्णय लेकर परिवादी को निर्देशित किया गया कि आप कल दिनांक 08.03.2025 को अपने गांव गोरछिया बेरा पर उपस्थित रहे तथा कानि श्री प्रकाश को निर्देशित किया कि आप डिजिटल वॉयस रिकार्डर को अपने पास सुरक्षित रखे एव कल दिनांक 08.03.2025 को प्रातः प्रथम बस से गांव गोरछिया बेरा आउ के लिये रवाना होकर मन निरीक्षक पुलिस को सूचित करे। दिनांक 08.03.2025 वक्त 08.15 ए.एम. पर श्री प्रकाश कानि न. 265 ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वाटसएप वायस काल कर बताया कि मै डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय नये मेमोरी कार्ड के बस द्वारा परिवादी श्री चूनाराम से सम्पर्क कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन करने के लिये रवाना हो चुका हूँ। जिस पर कानि को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात वक्त 07.12 पी.एम. पर कानि. प्रकाशने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल कर बताया कि परिवादी श्री चुनाराम की आरोपी श्री बजरंग दास लाईनमैन से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता हो गई है साथ ही प्रकाश कानि ने मेरे कहे अनुसार अपने मोबाईल से ही निरंतर मे पास ही उपस्थित परिवादी श्री चुनाराम से मेरी वार्ता करवाई तो चुनाराम ने बताया कि मेरी श्री बजंरगदास लाईनमैन से मेरे काम के बारे मे वार्ता हुई। वार्ता के दौरान मेरे काम की एवज मे आरोपी द्वारा मेरे से 15,000 रूप्ये रिश्वती राशि मांग की है जिस पर मेरे द्वारा राशि कम करने की विनती करने पर 14,000 रूप्ये लेने के लिये सहमत हुआ है तथा उक्त वार्ता रिकार्ड हो चुकी है तथा रिश्वती राशि लेकर सोमवार दिनांक 10.03.2025 को बुलाया है जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को निर्देशित किया गया कि संदिग्ध कर्मचारी द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि की व्यवस्था कर दिनांक 10.03.2025 को प्रातः 8 ए.एम पर उपस्थित आवे एव गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई तथा प्रकाश कानि द्वारा बस की व्यवस्था नही होने के कारण कल दिनांक 09.03.2025 को कार्यालय मे उपस्थित होने का निवेदन करने पर कानि श्री प्रकाश को डीवीआर मय मेमोरी कार्ड सुरक्षित रखने एव मुकीम रहने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 09.03.2025 वक्त 10.05 ए.एम. पर श्री प्रकाश कानि कार्यालय हाजा पर उपस्थित होकरकार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ सुदा मन निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया तथा बताया कि दिनांक 08.03.2025 को मै आपके निर्देशानुसार प्रातः 08ः15 ए.एम पर जोधपुर से रवाना होकर समय 130 पी.एम. पर बस स्टैण्ड ग्राम आउ पहुचा जहा पर परिवादी द्वारा जरिये फोन तय किये गये स्थान बस स्टैण्ड आउ पर परिवादी अपनी निजी मोटरसाईकिल के साथ उपस्थित मिला। तत्पश्चात परिवादी व मैं उनकी मोटरसाईकिल से परिवादी के घर गोरछिया बेरा गये। परिवादी के घर पर मैने परिवादी चुनाराम के मोबाईल से जरिये वाटसएप वॉयस कॉल से संदिग्ध कर्मचारी से वार्ता कर उपस्थिति पता करवाई गई तो संदिग्ध कर्मचारी ने अपना बाहर होना तथा करीब घंटे भर बाद परिवादी के घर पर आने की बात कही। उक्त वार्ता मैने परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता करवाई जो वार्ता डिजिटल वॉयस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड मे रिकार्ड की गई। तत्पश्चात मन कानि. एव परिवादी ने आरोपी श्री बजंरगदास लाईनमैन के उपस्थित आने का ईन्तजार किया। करीब दो घन्टे हो जाने एव आरोपी उपस्थित नही आने पर परिवादी चुनाराम ने अपने सूत्रो से संदिग्ध कर्मचारी की उपस्थिति ज्ञात की तो पता चला कि श्री बजंरगदास लाईनमैन चाडी जीएसएस पर उपस्थित है। जिस पर मन कानि हमरा परिवादी के परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से गोरछिया बेरा परिवादी के घर से रवाना होकर चाडी जीएसएस के पास पहुचे जहा पर मैने परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर डिजिटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर परिवादी चुनाराम को सुपुर्द कर संदिग्ध कर्मचारी से सम्पर्क करने एव वार्ता करने हेतु जीएसएस चाडी के लिये रवाना किया गया एवं मन कानि द्वारा अपनी उपस्थिति छूपाते हुए परिवादी के ईन्ताजर मे मुकीम रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी पुनः मन कानि. के पास उपस्थित आया एव डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालु हालत मे मुझे सुपुर्द किया जिसे मेने स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि मै अपनी मोटरसाईकिल से रवाना होकर जीएसएस चाडी मे बने कार्यालय मे पहुचा जहा पर श्री बजरंगदास लाईनमैन उपस्थित मिला जिनसे मेरे टयुबवैलो की बिल की राशि औसत राशि निकालने एव समय पर बिल निकाल कर देने हेतु निवेदन किया तो श्री बजरंगदास लाईनमैन ने मेरे उक्त कार्य की एवज में 15,000 रूपये बतौर रिश्वत की मांग की। मेरे द्वारा राशि कम करने की विनती करने पर 14,000 रूपये मेरे उक्त कार्य की एवज मे लेने के लिये सहमत हुआ। तत्पश्चात मैने समस्त हालात जरिये फोन आपको निवेदन करने पर आपके निर्देशानुसार एव आवागमन साधन अभाव के कारण परिवादी के घर गोरछिया बेरा पहुचकर गोपनीयता रखते हुए मुकीम रहे तथा डिजिटल वॉयस रिकार्डर मन कानि के पास सुरक्षित रखा। आज प्रातः परिवादी को आरोपी कर्मचारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कल दिनांक 10.03.2025 को कार्यालय उपस्थित आने हेतु निर्देशित कर मन कानि जरिये बस ग्राम आउ से रवाना होकर जोधपुर स्थित कार्यालय पहुचा हूँ एवं डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर स्वीचऑफसुदा सुरक्षित हालत मे मन निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया। जिस पर डिजिटल वॉयस रिकार्डर को ऑन कर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो श्री प्रकाश कानि के उपरोक्त बताये गये तथ्यो की ताईद होकर संदिग्ध कर्मचारी श्री बजरंगदास द्वारा परिवादी श्री चुनाराम से उनकी टयुबवैलो पर लगे मीटर खराब होने के कारण औसत राशि का बिल जारी करने एव बिल हर माह नियत समय पर निकाल कर देने की एवज मे 15,000 रूपये बतौर रिश्वत की मांग की गई तथा परिवादी द्वारा विनती करने पर 14,000 रूप्ये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत हुआ है। तत्पश्चात डिजिटल वॉयस रिकार्डर स्वीच ऑफ कर मय मेमोरी कार्ड के अपने पास सुरक्षित रखा। तथा आईन्दा उक्त रिकार्ड वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट

बनाई जाने का निर्णय लिया गया। आज दिनांक को राजकीय अवकाश होने से एव श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के अपने राजकीय आवास पर होने से समस्त हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये फोन निवेदन किये गये। वक्त 12.30 पी.एम.दिनांक 10.03.2025 को अग्रिम ट्रैप कार्यवाही प्रस्तावित होने से अग्रिम ट्रैप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान दिनांक 10.03.2025 को 8 एएम पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द करवाने हेतू श्रीमान खनि. अभियन्ता खान एव भूविज्ञान विभाग जोधपुर के नाम तहरीर जारी कर श्री गणेश कानि को सुपुर्द कर गवाहान पाबन्द करवाने हेतु निर्देशित किया गया एव जरिये फोन खनि. अभियन्ता से सम्पर्क कर गवाहो को पाबन्द करवाने हेतु एव पाबन्द किये गये गवाहो के नाम एव मोबाईल नम्बर से अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया गया।दिनांक 10.03.2025 वक्त 08.45 ए.एम. परपूर्व मे पाबन्दसुदा परिवादी श्री चुनाराम उपस्थित आया तथा बताया कि मै श्री बजरंगदास लाईनमैन द्वारा तय की गई रिश्वत राशि 14,000 रूपये की व्यवस्था कर साथ लेकर आया हू। इसी दरम्यान कार्यालय खनि अभियन्ता खान एव भूविज्ञान विभाग जोधपुर से दो कार्मिक उपस्थित आये जिन्हे मन निरीक्षक पुलिस का परिचय देकर उनका परिचय पूछने पर एक कार्मिक ने बताया कि मेरा नाम विजय पारीक पुत्र श्री कन्हैयालाल जी जाति ब्राहम्ण उम्र 28 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ग्राम तिलानेश तहसील डेगाना जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय खनिज अभियन्ता कार्यालय भूविज्ञान विभाग जोधपुर मो. न [redacted] एव दूसरे कार्मिक ने अपना नाम नरपत सिह भाटी पुत्र श्री बालुसिह जी जाति राजपूत उम्र 55 वर्ष पेशा नौकरी निवासी 102 जोगमाया कोलोनी भगत की कोठी जोधपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय खनिज अभियन्ता कार्यालय भूविज्ञान विभाग जोधपुर मो. नम्बर [redacted] होना बताया जिस पर दोनो कार्मिको को बुलाने के मंतव्य से अवगत करवाकर परिवादी चुनाराम द्वारा दिनांक 07.03.2025 को प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट को पढाया गया एव दिनांक 08.03.2025 को परिवादी चुनाराम एव संदिग्ध कर्मचारी बजरंगदास लाईनमैन/तकनीकी हैल्पर के मध्य वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड मे रिकार्ड है के मुख्य मुख्य अंश दोनो कार्मिको को सुनाये गये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर एव रिकार्ड वार्ता को सुनकर दोनो कार्मिको ने ट्रैप कार्यवाही मे स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक सहमति दी। कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर मे लगा मेमोरी कार्ड सुरक्षित निकाल कर लिफाफे मे डालकर अपने पास सुरक्षित रखा। वक्त 09.30 ए.एम. परदोनों स्वतंत्र मौतबिरान के रूबरू परिवादी श्री चुनाराम को साथ लाई राशि 14,000 रुपये जो संदिग्ध कर्मचारी श्री बजरंगदास लाईनमैन/तकनीकी हैल्पर जीएसएस गोरचिया बेरा आउ तहसील एव जिला फलौदी को दी जानी है को पेश करने हेतु कहा गया। जिस पर परिवादी श्री चुनाराम ने भारतीय मुद्रा के पांच सौ-पांच सौ रूपयें के 28 नोट कुल राशि 14,000 रूपये पेश किये जिनका विवरण निम्नानुसार है:- 1- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2ET077914 2. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9CD855385 3. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2EK049398 4. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9RC700230 5. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8NM453378 6. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4RQ457767 7. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0DD944704 8. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9AH314860 9. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6RH661229 10. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7WN097083 11. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2RV529971 12. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4EG898290 13. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2QL602826 14. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0SR472805 15. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2NE896535 16. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3CE244905 17. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3CE244906 18. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4GC190713 19. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7NA469938 20. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2DP126287 21. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2QS016085 22. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2HV451187 23. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9NQ481574 24. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6DQ422371 25. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3SN740818 26. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9AG553241 27. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5HH194257 28. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3QT397597 उक्त नोटों के नम्बरफर्द पेशकशी रिश्वत राशि मे अंकित किया जाकर श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर उपरोक्त राशि 14,000/- रूपये के नोटों पर श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से नोटो को अखबार के उपर रखवाकर उन पर हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री चुनाराम की जामा तलाशी गवाह श्री विजय पारीक से लिवाई जाकर मोबाईल फोन परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 14,000/-रूपये जो श्री बजरंगदास लाईनमैन (तकनीकी हैल्पर) जीएसएस गोरचिया बेरा आउ तहसील एव जिला फलौदी को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी श्री चुनाराम के पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में 500-500 रूपये के 28 नोट कुल राशि 14,000/-रूपये को श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री चुनाराम को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में से निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। रिश्वती राशि का लेनदेन होने के पष्चात ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर कर या मन् श्री पदमपालसिह निरीक्षक पुलिस भ्र.नि.

ब्यूरो जोधपुर एसयू के मोबाईल नं. [redacted] पर मिस कॉल या कॉल करके रिश्वती राशि आदान-प्रदान होने की सूचना करें। तत्पशचात एक साफ प्लास्टिक के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितान को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लाने वाली महिला कानि. श्रीमती सुशीला के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। तत्पष्चात नोटों पर पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर प्लास्टिक के गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया तथा जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। परिवादी श्री चुनाराम को छोडकर समस्त ब्यूरो टीम व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हाथों को साबुन से साफ धुलवाये गये व ब्यूरो स्टाफ की आपसी जामा तलाशी लिरवाई जाकर अपने-अपने विभागीय परिचय-पत्र एवं अपने-अपने मोबाईल फोन पास रहने दिये गये। कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, राशि एवं दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहने दिये गये मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा खर्चे के 1500 रूपये अपने पास रखे एव समस्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट एवं सुपुर्दगी रिश्वति राशि मुर्तिब की गई। वक्त10.15.ए.एम. पर मन पदमपाल सिंह निरीक्षक पुलिस हमराह स्वतंत्र मोतबिरान श्री विजय पारीक, कनिष्ठ सहायक, श्री नरपत सिंह भाटी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, परिवादी श्री चुनाराम व श्री मनीष चौधरी निरीक्षक मय ब्यूरो जाप्ता श्री रामकिशोर सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री मेघराज सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री अचलाराम मुख्य आरक्षक नं. 67 श्री गणेशराम कान्स्टेबल नं. 219, श्री प्रकाश कान्स्टेबल नं. 265, श्री कालूराम कानि. 246 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर एवं नये मैमोरी कार्ड के व अन्य ट्रेप सामग्री साथ लेकर अपने निजी वाहन व परिवादी के निजी वाहन से ब्यूरो कार्यालय से ग्राम गोरछिया बेरा, आउ के लिए रवाना हुवे।वक्त 12.43 .पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस कार्यालय से रवाना शुदा समस्त हमरायान के ग्राम गोरछिया बेरा के जी.एस.एस. के पास पहुंचे जहां पर वाहनो को एक तरफ खड़ा करवाकर परिवादी श्री चुनाराम के मोबाईल नं. [redacted] से आरोपी श्री बजरंग दास तकनीशियन के मोबाईल नं. [redacted] पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर व्हाट्सप वाईस कॉल करवाकर वार्ता करवाई जाकर आरोपी की उपस्थिति एवं मिलने के बारे में पुछवाया गया तो वार्ता के दोरान आरोपी श्री बजरंग दास अपने आप को लक्ष्मण नगर में उपस्थित होने की बात कहने पर परिवादी द्वारा मिलने के बारे में पुछने पर आरोपी श्री बजरंग दास ने बताया कि मैं जी.एस. एस. गोरछिया बेरा आ रहा हूं,वहीं पर मिलेंगे। उक्त वार्ता को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मे रिकार्ड किया गया। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा जी.एस.एस. गोरछिया बेरा के पास समस्त हमराहयान के उपस्थिति छुपाते हुऐ आरोपी श्री बजरंग दास के आने के इंतजार में मुकिम रहें। वक्त 01.04 पी.एम. पर आरोपी श्री बजरंगदास के मोबाईल से परिवादी श्री चुनाराम के मोबाईल पर वाटसएप वॉयस कॉल आया एव आरोपी श्री बजरंगदास ने बताया कि मैं जीएसएस गोरचिया बेरा पहुच चुका हू।जिस पर परिवादी श्री चुनाराम को कार्यालय से साथ लाया डिजिटल वॉयस रिकार्डर का स्वीच ऑन कर आवश्यक हिदायत के साथ रिश्वत राशि लेन-देन हेतु आरोपी श्री बजरंगदास से मिलने हेतु उसके बताये अनुसार जीएसएस गोरचिया बेरा के परिसर की और रवाना कर मन निरीक्षक पुलिस एव समस्त हमरायान ने अपनी-अपनी पोजीशन लेकर परिवादी चुनाराम के गोपनीय ईशारे का ईन्तजार मे व्यस्त हुआ। वक्त 0116 पी.एम. पर परिवादी श्री चुनाराम के मोबाईल नम्बर [redacted] से मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल कर बताया कि श्री बजरंग दास ने राशि प्राप्त कर ली है। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस समस्त हमरायान को चलने का ईशारा कर जीएसएस गोरछिया बेरा के परिसर के अन्दर मय निजी वाहन के पहुचां जहां पर परिवादी श्री चुनाराम उपस्थित मिला जिसको पूर्व में सुपुर्द किया गया कार्यालय का डीवीआर को प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने पास रखा। परिवादी चुनाराम ने पास ही लोहे की चारपाई पर जिन्स पेंट एवं लाईन का शर्ट पहने हुए बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री बजरंगदास लाईनमैन है, जिस पर चारपाई पर बैठा हुआ व्यक्ति ब्यूरो टीम को देखकर जीएसएस में बने ऑफिस के पीछे की तरफ भागा जिस पर मन निरीक्षक पुलिस हमरा दोनों मौतबिरान एवं ब्यूरो टीम द्वारा भागते हुए व्यक्ति को रोकने की कोशिश की तो वह अपनी जैंब से 500-500 रूपये के नोटों की गड्डी निकालकर दीवार के पास फैंककर दीवार फांदने की कौशिश की मगर मन निरीक्षक पुलिस हमरा ब्यूरो दल भागते व्यक्ति को पकड़कर रोका गया एवं रोके गये व्यक्ति को मन निरीक्षक एवं मौतबिरान एवं हमरायान को परिचय देकर उस व्यक्ति से उनका परिचय पूछने पर पहले कुछ देर चुप रहा कुछ देर पश्चात अपना नाम श्री बजरंग दास पुत्र श्री कान दास जाति स्वामी (साध) उम्र 27 वर्ष निवासी चक 3 बीपीएम श्री गंगानगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान

हाल तकनीशियन द्वितीय जीएसएस गोरछिया बेरा कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड आउ जिला फलोदी होना बताया जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा आने के मन्तव्य से अवगत करवाकर पास ही खड़े परिवादी श्री चुनाराम की ओर ईशारा कर पूछा गया कि क्या आप इसे जानते हो तथा अभी कोई राशि प्राप्त की हैं जिस पर श्री बजरंग दास ने बताया कि हां मैं इसे जानता हूं। यह श्री चुनाराम निवासी गोरछिया बेरा है जो अभी आकर मेरे से मिला तथा अपने टयूबवेल के बिलों की राशि मुझे दी जो मैनें मेरे पहनी हुई जिन्स पेंट की दायीं जेब में रखी, इसी दरम्यान आपकी टीम आ जाने पर मैनें चुनाराम से प्राप्त की गई राशि अपनी जेब से निकालकर जीएसएस की दीवार के पास फैंकी है। जिस पर श्री बजरंग दास से मन निरीक्षक पुलिस द्वारा पूछा गया कि श्री चुनाराम से प्राप्त की गई राशि कितनी है तथा बिल की राशि कितनी है। जिस पर श्री बजरंगदास थोड़ी देर चुप रहकर बोला कि बिल की राशि कितनी है मुझे जानकारी नहीं है, तथा उससे श्री चुनाराम के टयूबवेलो के बिल के बारे में भी पूछने पर अनभिज्ञता जाहिर कर निरूत्तर रहा। इस पर पास ही खडे परिवादी श्री चुनाराम ने आरोपी श्री बजरंग दास के उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि श्री बजरंग दास लाईनमैन झूठ बोल रहे है। इन्होनें मेरे सात टयूबवेलो का माह नवम्बर, दिसम्बर 2024 के बिल औसत राशि से नहीं निकालकर ज्यादा राशि के निकाले गये जिस पर मैं श्री बजरंग दास से मिला तो बजरंगदास लाईनमैन ने मुझे कहा कि बिल ज्यादा राशि के नहीं निकालकर औसत राशि के तथा समय पर निकाल कर देने की एवज में दो हजार रूपये प्रत्येक टयूबवेल के हिसाब से राशि देनी पड़ेगी जिस पर मैनें श्री बजरंग दास को कोई राशि नहीं दी। माह जनवरी, फरवरी 2025 के बिल औसत राशि के निकालकर श्री बजरंग दास मेरे से मिला और कहा कि आपने पहले भी पैसे नहीं दिये फिर भी मैनें आपकी टयूबवेलों के बिल औसत राशि से गणना कर समय पर निकालकर दिये है अब आपको उक्त कार्य की एवज में मुझे 15,000 रूपये देने पड़गें इस प्रकार श्री बजरंग दास द्वारा मेरे से बार-बार रिश्वत राशि की मांगकर परेशान किया जाने पर मैनें आपके समक्ष शिकायत की है जिस पर दिनांक 08.03.2025 को आप द्वारा श्री प्रकाश कानि. के मेरे साथ रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता करवाई गई वार्ता के दौरान भी श्री बजरंग दास द्वारा मेरे टयूबवेलों के बिल की राशि औसत राशि की गणनाकर समय पर निकालकर देने की एवज में 15000 रूपये रिश्वत की मांग की गई मेरे द्वारा विनती करने पर श्री बजरंग दास 14000 रूपये लेने के लिए सहमत हुआ जो राशि अभी-अभी श्री बजरंग दास ने मेरे से मांगकर प्राप्त कर अपने पहनी हुई जिन्स पेंट की दायीं जेब मे रखी तथा ब्यूरो टीम को देखकर जीएसएस की दीवार के पास फैंककर भागने की कौशिश की। जिस पर आरोपी श्री बजरंगदास से परिवादी के उक्त तथ्यों के बारे में स्पष्टीकरण पूछने पर निरूत्तर रहा। जिस पर दीवार के पास फैकी पड़ी 500-500 रूपये के नोटों की राशि की सुरक्षा की दृष्टि से श्री प्रकाश कानि. को मामूर कर उपस्थित जाप्ते से आरोपी श्री बजरंग दास की कलाई से उपर से सुरक्षा की दृष्टि से दोनों हाथ पकड़वाये जाकर गाड़ी से ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया एवं पास ही स्थित भवन के बरामदे में आरोपी श्री बजरंग दास के हाथ धोवन की अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात टे्रप बॉक्स में से दो प्लास्टिक डिस्पोजल की साफ गिलास निकाल कर उक्त डिस्पोजल गिलासों में साफ पीने का पानी भरवाया गया। उक्त दोनों गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया जाकर घोल तैयार किया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग, रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगण ने घोल का रंग, रंगहीन होना स्वीकार किया। एक गिलास के तैयार रंगहीन घोल में आरोपी श्री बजरंग दास के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने उक्त घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग काँच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। दूसरे डिस्पोजल गिलास के तैयार रंगहीन घोल में आरोपी श्री बजरंग दास के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने उक्त घोल के रंग को हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग काँच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात उपरोक्त धोवन में प्रयुक्त की गई डिस्पोजल गिलासों को कार्यालय के डस्टबिन में डलवाया गया। तत्पश्चात पास ही सामने स्थित दीवार के पास फैंकी गई रिश्वत राशि के पास आरोपी श्री बजरंग दास को लेकर हमरा दोनों स्वतंत्र गवाहन एंव ब्यूरो जाप्ते के पहुचकर फैकी गई रिश्वत राशि को गवाह श्री विजय पारीक से उठवाया गया एवं उक्त राशि को गिनवाने पर 500-500 रूपये के कुल 28 नोट कुल राशि 14,000 रूपये होना पाई गई जिस पूर्व से मुर्तिब फर्द पेशकशी गवाह श्री नरतपसिंह भाटी को सुपुर्द कर पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों का मिलान बरामदा राशि के नोटों के नम्बरों से करवाने पर नोटों के नम्बर हूबहू फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों के अनुसार होना पाये गये। बरामदा रिश्वत राशि के नोटो के नम्बर फर्द बरामदगी रिश्वत राशि में अंकित किया गया। उक्त भारतीय मुद्रा 14,000/-रूपये को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। आरोपी श्री बजरंग दास के रहवासी किराये के मकान ग्राम लक्ष्मणनगर चाडी में स्थित की खाना तलाशी ली जाने आवश्यक होने से पुलिस थाना भोजासर से जरिये फोन एक महिला कानि. श्रीमती सरोज नम्बर 962 एवं श्री भंवरलाल कानि. 1044 की उपस्थिति प्राप्त की गई जिनको व श्री अचलाराम हैड कानि. 67 को आरोपी के रहवासी

किराये के मकान की सुरक्षा हेतु जरिये पुलिस वाहन से रवाना किया गया। आरोपी श्री बजरंग दास की जामा तलाशी गवाह श्री विजय पारीक से लिरवाई जाने पर उसकी पहनी हुई जिन्स पेंट की बायीं जेब में रखे दो मोबाईल फोन मिले जिसमे से एक विवो कम्पनी का जिसमें दो सिम लगी हुई। जिसके माबाईल नम्बर जीओ [redacted] तथा वोडाफोन [redacted] जिसके आईएमईआई नम्बर [redacted] व [redacted] होना पाये गये। उक्त मोबाईल फोन प्रकरण में वांछित होने के कारण कब्जा एसीबी लिया गया। दूसरा फोन सैमसंग कम्पनी का जिसमें एक सिम एयरटेल की लगी हुई। जिसके के बारे में श्री बजरंग दास से पूछने पर उसने बताया कि उक्त मोबाईल फिडर इन्चार्ज एफआई कोड संख्या 021 जो मेरे नाम से जारी है जो मुझे दे रखा है, जो मोबाईल स्पॉट बिलिंग के लिए मुझे विभाग द्वारा दे रखा है। उक्त मोबाईल फोन विधुत विभाग का विभागीय फोन होने के कारण तथा उसमें कोई डाटा सेव नहीं होने के कारण कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम आउं में पदस्थापित कैशियर श्री अजीत सिंह भाभूं उपस्थित आने पर उन्हें लौटाया जायेगा। जामा तलाशी में श्री बजरंग दास के पहनी हुई शर्ट की उपर की जेब मे कुछ राशि होना पाई गई। जिस पर गवाह श्री विजय पारीक से जामा तलाशी में मिली राशि की गिनती कराने के लिए गवाह श्री विजय परीक को निर्देशित करने पर गवाह श्री विजय पारीक ने एक विधुत बिल उपभोक्ता श्री जैठाराम के नाम घरेलू विधुत बिल जिसमें नियत तिथि तक देय राशि 19522 रूपये अंकित है। उक्त बिल में लपेटी हुई राशि 500-500 रूपये के 24 नोट कुल राशि 12000 रूपये, दूसरा बिल के उपभोक्ता श्री पन्नाराम के नाम कृषि कनेक्शन का बिल जिसमें नियत तिथि तक देय राशि 6394 रूपये अंकित हैं उक्त बिल में लपेटी हुई राशि 500-500 रूपये के 12 नोट, 200 रूपये का 01 नोट व 100-100 रूपये के 02 नोट कुल राशि 6400 रूपये, तीसरा बिल के उपभोक्ता श्री उगमसिंह के नाम घरेलू कनेक्शन का बिल जिसमें नियत तिथि तक देय राशि 14509 रूपये अंकित है। उक्त बिल में लपेटी हुई राशि 500-500 रूपये के 05 नोट, 200 रूपये का 05 नोट व 100-100 रूपये के 15 नोट कुल राशि 5000 रूपये तथा चौथा बिल उपभोक्ता श्री पप्पूराम के नाम घरेलू कनेक्शन का बिल जिसमें नियत तिथि तक देय राशि 5 रूपये अंकित है। उक्त बिल में लपेटी हुई राशि 200 रूपये का 04 नोट व 100 रूपये का 01 नोट कुल राशि 900 रूपये होना पाई गई। उक्त जामा तलाशी मे मिली नगद राशि एवं बिलों के बारे में श्री बजरंग दास से पूछने पर बताया कि उक्त राशि उपभोक्ताओं द्वारा अपने विधुत बिल की राशि है जो बिलों के साथ मुझे कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड आउ जिला फलोदी में कैशियर श्री अजीत सिंह भाभूं के पास जमा करवानी है। जिस पर श्री बजरंग दास से बिलों में अंकित नियत तारीख तक देय राशि एवं उनमें लिपटी हुई पायीं राशि में अन्तर होने के बारे पूछने पर श्री बजरंग दास चुप रहा। उपभोक्ता श्री पप्पूराम के बिल में लिपटी राशि नियत तारीख तक देय राशि से ज्यादा होने पर उससे पूछने पर बताया कि यह राशि उपभोक्ता द्वारा मीटर चेंज करवाने की एवज में दी गई है। उक्त जामा तलाशी में मिली नगद राशि एवं बिल उपभोक्ताओं के होने के कारण आईन्दा कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम आउं में पदस्थापित कैशियर श्री अजीत सिंह भाभूं के उपस्थित आने पर उन्हें लौटाई जाकर प्राप्त रसीद प्राप्त की जायेगी। श्री बजरंग दास की जामा तलाशी में अन्य कोई राशि, वस्तु दस्तावेज संदिग्ध नहीं मिले व न ही कब्जा ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात रिश्वती राशि आरोपी श्री बजरंग दास के पहनी हुई जिन्स पेंट की आगे की दायीं जेब में रखी थी जिसका धोवन लिया जाना आवश्यक होने के कारण उनके पहनने के लिए एक अन्य पेंट की व्यवस्था कर पहनी हुई जिन्स पेंट को उतरवाया गया। इसके बाद ट्रेप बॉक्स में से एक नया डिस्पोजल गिलास निकलवाकर गिलास में पीने का साफ पानी भरवाया गया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार रंगहीन घोल में आरोपी की पहनी पेंट की आगे की दायीं जेब को उल्टाकर दो-तीन बार डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर झाईनुमा हो गया जिसे सभी उपस्थितान ने घोल का रंग झाईनुमा होना स्वीकार किया गया। उक्त झाईनुमा रंग के घोल को कांच की दो शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर चेपोपर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों को शील्ड मोहर कर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित किया गया। उक्त जिन्स पेंट की दायीं जेब को सुखोकर जेब पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर जिन्स पेंट को एक कपड़े की थैली में डालकर कपडे़ की थैली को शील्ड मोहर किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। रिश्वती राशि बरामदगी स्थल पर रेत व कंकरीट होने के कारण धोवन लिया जाना संभव नहीं होने के कारण बरामदगी स्थल का धोवन नहीं लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की विडियोग्राफी मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन करवाई गई। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धोवन मुर्तिब की जाकर शामिल रनिंग नोट की गई। वक्त 0430 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस रूबरू मौतबिरान परिवादी श्री चुनाराम की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल एव हालात मौका मर्तिब किया जाकर शामिल रंनिग नोट की गई। वक्त 0445 पी.एम. परपूर्व मे तलब सुदा श्री अजीत सिह भांभू कैशियर कार्यालय सहायक अभियन्ता जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड आउ जिला फलौदी जीएसएस गोरचिया बेरा पर उपस्थित आया एव आरोपी बजरंगदास का निर्धारित प्रफौर्मा मे सेवा विवरण प्रस्तुत किया जो बाद अवलोकन शामिल रंनिग नोट किया गया तथा अजीत सिह को जीएसएस गोरचिया बेरा उपस्थित रहने के लिये निर्देशित किया गया। वक्त 0500 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस प्रकरण मे लिये गये प्रादर्श, बरामदा रिश्वत राशि आरोपी के पैन्ट का पैकैट एव हाथ धोवन की कार्यवाही के

दौरान जामा तलाशी मे मिले मोबाईल, उपभोक्ता के बिल, राशि आदि समस्त सामग्री श्री मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस हमरा जाब्ता श्री मेघराज एएसआई एव अन्य के सुपुर्द कर आरोपी श्री बजरंगदास को साथ लेकर हमरा दोनो स्वतंत्र गवाहान एव ब्यूरो जाब्ता के आरेपी बजरंगदास के रहवासी किराये के कमरे की खाना तलाशी हेतुग्राम चाडी के लिये जरिये निजी वाहन रवाना हुआ। वक्त 0535 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस उपरोक्त फिकरा का रवानासुदा आरोपी श्री बजरंगदास के किराये का मकान श्री देवाराम ब्राहम्ण का रहवासी मकान मैन मार्केट चाडी ब्राहम्णो का बास मे देवाराम के रहवासी मकान मे छत पर बने कमरे पर पहुचा जहा पर आरोपी बजरंगदास किराये पर रहवास करता है उक्त कमरे पर पूर्व से मामुरा जाब्ता मय म. कानि श्रीमती सरोज उपस्थित मिली। जिनकी उपस्थिति कमरे मे उपस्थित श्रीमती मीरा पत्नी बजरंगदास को आरोपी बजरंगदास की उपस्थिति मे मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना एव समस्त हमरायान का परिचय देकर आने के मंतव्य से अवगत करवाकर रहवासी कमरे की खाना तलाशी लेने की स्वीकृति प्राप्त की गई एव रूबरू गवाहान एव म. कानि एव हमरा जाब्ता की उपस्थिति मे उक्त रहवासी किराये के कमरे की खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी रहवासी कमरा बजंरगदास मुर्तिब की जाकर शामिल रंनिग नोट की गई। उक्त ली गई खाना तलाशी की मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल से वीडियोग्राफी की गई। वक्त 0555 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस हमरा स्वतंत्र गवाहान एव दस्तयाबसुदा आरोपी श्री बजरंगदास एव ब्यूरो दल के बाद खाना तलाशी ग्राम चाडी स्थित बजरंगदास के रहवासी कमरे से जीएसएस गोरचिया बेरा के लिये रवाना हुआ। वक्त 0615 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस उपरोक्त फिकरा का रवानासुदा समस्त हमरायान के जीएसएस गोरचिया बेरा पहुचा। श्री मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किये गये प्रादर्श, रिश्वती राशि एव समस्त सामग्री मन निरीक्षक पुलिस के जिम्मे ली। वक्त 0630 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री बजरंगदास पुत्र कानदास जाति स्वामी उम्र 26 साल निवासी चक 3 बीपीएम जिला श्री गंगानगर हाल तकनीशियन जीएसएस गोरचिया बेरा को रूबरू मौतबिरान उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी, गिरफ्तार किया गया। वक्त 0700 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस समस्त हमरायान के प्रकरण मे जब्त किये गये प्रादर्श, बरामदा रिश्वती राशि, गिरफतारसुदा आरोपी बजरंगदास को साथ लेकर निजी वाहन एव परिवादी के निजी वाहन से एसीबी चौकी एसयू जोधपुर के लिये रवाना हुआ। वक्त 0930 पी.एम पर मन निरीक्षक पुलिस उपरोक्त फिकरा का रवानासुदा हमरा परिवादी स्वतंत्र गवाह श्री विजय पारीक कनिष्ठ सहायक, श्री नरपत सिह भाटी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, श्री मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस, ब्यूरो दल सदस्य श्री रामकिशोर एएसआई, श्री मेघराज एएसआई, श्री अचलाराम हैड कानि न.67, श्री प्रकाश कानि 265, श्री गणेशराम कानि 219, श्री कालुराम 246 मय प्रकरण मे जब्तसुदा प्रादर्श आरोपी बजरंगदास के दाहिने हाथ का लिया गया धोवन की शील्डसुदा शीशी मार्क आर एच-1, आर एच-2 की, बांये हाथ का लिये गये धोवन की शील्डसुदा शीशी मार्क एल एच-1, एल एच-2, आरोपी के पहनी हुई जिन्स पेन्ट की दाहिनी जेब जहा पर आरोपी ने परिवादी से रिश्वती राशि प्राप्त कर रखी एव ब्यूरो दल को देखकर फेंकी गई उक्त जेब का लिया गया धोवन की शील्डसुदा शीशी मार्क पी-1, पी-2 बरामदा रिश्वती राशि 14,000 रूपये कपडे के टुकडे के साथ शील्ड चिटसुदा आरोपी बजरंगदास की जिन्स पैंट का शील्डसुदा पैकैट, आरोपी बजरंगदास की जामा तलाशी मे मिला एक मोबाईल वीवो कम्पनी का जिस मे दो सिम लगी हुई जिसके मोबाईल नम्बर जियो [redacted] तथा वोडाफोन [redacted] जिसके आईएमईआई नम्बर [redacted] व [redacted] को मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि 67 को सुरक्षित हालत मे सम्भलाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। वक्त1045 पी.एम. पर गिरफतारसुदा आरोपी श्री बजरंगदास का चिकित्सकीय परीक्षण करवाने हेतु श्रीमान चिकित्सा प्रभारी राजकीय सैटेलाइट अस्पताल पावटा के नाम तहरीर एव आरोपी को रात्रि मे सुरक्षित हवालात मे रखने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना उदयमंदिर के नाम तहरीर जारी कर श्री अयूब खा उपनिरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर हमरा गिरफ्तारसुदा आरोपी बजरंगदास को ब्यूरो जाब्ता श्री कालुराम कानि के साथ जरिये सरकारी वाहन से आवश्यक हिदायत के साथ रवाना किया गया एव रात्रि निगरानी हेतु श्री कालुराम कानि को निर्देशित किया गया। वक्त 1115 पी.एम. परश्री अयूब खा उपनिरीक्षक पुलिस मय जाप्ता के आरोपी कोबाद स्वास्थ्य परीक्षण एव थाना उदयमन्दिर की हवालात मे जमा करवाकर उपस्थित आये तथा स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल रंनिग नोट की गई। वक्त 1120 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने पास सुरक्षित रखे डीवीआर जिसमे लगे मेमोरी कार्ड मे वक्त रिश्वत राशि लेनदेन पूर्व एव वक्त रिश्वत राशि लेनदेन परिवादी चुनाराम एव आरोपी बजरंगदास के मध्य हुई वार्ता जोरिकार्ड है के मेमोरी कार्ड को सुरक्षित हालात मे डीवीआर से निकालकर एक लिफाफे में डालकर अपने पास सुरक्षित रखा एव पूर्व से मन् निरीक्षक पुलिस के पास एक लिफाफे मे रखा मेमोरी कार्ड जिसमे दिनांक 08.03.2025 की परिवादी श्री चुनाराम एवं आरोपी बजरंगदास के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है जिसको लिफाफे से निकालकर श्री प्रकाश कानि से पुनः डीवीआर मे डलवाकर डीवीआर को कार्यालय के कम्प्यूटर से जोडकर कम्प्यूटर के माध्यम से रिकार्ड वार्ता को रूबरू गवाहान एव परिवादी की उपस्थिति मे शब्द ब शब्द सुन सुन कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन मुर्तिब की जाकर संबधितगणो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त मूल मेमारी कार्ड से दो पैन ड्राईव मे रिकार्ड वार्ता सेव करवाई गई। तत्पश्चात मूल मेमोरी कार्ड को रूबरू मोतबिरान कपडे की थेली मे डालकर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर थेली को शील्ड मोहर किया गया एव संबधित गण के हस्ताक्षर करवाये गये एव दोनो पैन

ड्राईव को डब मानते हुए खुली हालत मे रखा गया। रिकार्ड वार्ता मे एक आवाज आरोपी श्री बजरंगदास की होना एव एक आवाज परिवादी चुनाराम की स्वयं की होना परिवादी द्वारा पहचान की गई। मूल मेमोरी कार्ड के शील्डसुदा पैकैट एव दोनो डब पैन ड्राईव खुली हालत मे मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। दिनांक 11.03.2025 वक्त 0210 ए.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा मेमोरी कार्ड जिसमे दिनांक 10.03.2025 की परिवादी चुनाराम एव आरोपी बजरंगदास के मध्य लेनदेन से पूर्व हुई वार्ता तथा परिवादी चुनाराम एव आरोपी श्री बजरंगदास के मध्य हुई वक्त रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता रिकार्ड है जिसको रूबरू गवाहान श्री गणेश कानि से डीवीआर मे लगवाकर डीवीआर को कार्यालय के कम्प्यूटर से जोडकर कम्प्यूटर के माध्यम से रिकार्ड वार्ता को रूबरू गवाहान एव परिवादी की उपस्थिति मे शब्द ब शब्द सुन सुन कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि लेनदेन पूर्व वार्ता एव वक्त रिश्वती राशि लेनदेन वार्ता मुर्तिब की जाकर संबधितगणो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त मूल डीवीआर से दो पैन ड्राईव मे रिकार्ड वार्ता सेव करवाई गई। तत्पश्चात मूल मेमोरी कार्ड को रूबरू मोतबिरान कपडे की थेली मे डालकर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर थेली को शील्ड मोहर किया गया एव संबधित गण के हस्ताक्षर करवाये गये एव दोनो पैन ड्राईव को डब मानते हुए खुली हालत मे रखा गया। रिकार्ड वार्ता मे एक आवाज आरोपी श्री बजरंगदास, दूसरी आवाज परिवादी श्री चुनाराम स्वयं की होना परिवादी द्वारा पहचान की गई। मूल मेमोरी कार्ड के शील्डसुदा पैकैट एव दोनो डब पैन ड्राईव खुली हालत मे मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। वक्त 0340 ए.एम.पर मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल मे वक्त रिश्वत राशि पेशकशी, बरामदगी रिश्वत राशि एव हाथ धोवन की कार्यवाही, निरीक्षण घटनास्थल की वीडियोग्राफी मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल द्वारा की गई थी उक्त वीडियोग्राफी एक पैन ड्राईव मे सेव की जाकर उक्त पैन ड्राईव को एक कवर मे डालकर खुली हालत मे शामिल रनिंग नोट किया गया तथा आरोपी बजरंगदास के रहवासी किराये के कमरे की ली गई खाना तलाशी की विडियोग्राफी भी मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल से की गई उक्त विडियोग्राफी को एक अन्य पेन ड्राईव मे सेव किया जाकर खुली हालत मे रखा गया। अब तक की समस्त कार्यवाही से आरोपी श्री बजरंगदास पुत्र श्री कानदास जाति स्वामी(साध) उम्र 26 साल निवासी चक 3 बीपीएम जिला श्री गंगानगर हाल तकनीशियन द्वितीय जीएसएस गोरछिया बेरा कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड आउ जिला फलौदी के द्वारा परिवादी श्री चुनाराम पुत्र श्री गोपाराम जाति जाट निवासी गोरछिया बेरा से उनके पिताजी श्री गोपाराम एव उनके चाचा श्री बींजाराम के नाम ग्राम गोरछिया बेंरा में स्थित जमीन पर संचालित कुल सात टयूबवेलां के विधुत रीडिंग मीटर खराब होने के कारण विधुत बिल ज्यादा राशि के जारी नही कर औसत राशि की गणना कर बिल समय पर जारी करने की एवज मे दिनांक 08.03.2025 को वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन 15,000 रूपये बतौर रिश्वत मांग करना एव परिवादी चुनाराम द्वारा रिश्वती राशि कम करने की विनती करने पर परिवादी के उपरोक्त कार्य की एवज मे 14,000 रूपये की रिश्वती राशि लेने के लिये सहमत होना जिस पर दिनांक 10.03.2025 को रूबरू गवाहान ट्रैप कार्यवाही आयोजित करने पर वक्त रिश्वती राशि लेनदेन आरोपी बजरंगदास तकनीशियन द्वितीय द्वारा परिवादी श्री चुनाराम से उनके उपरोक्त जायज कार्य की एवज मे मांगकर तय की गई रिश्वती राशि 14,000 रुपये जीएसएस गोरछिया बेरा परिसर में प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जिन्स पेंट की आगे की दायीं जेब में रखी तथा ब्यूरो टीम को देखकर उक्त परिवादी से प्राप्त की रिश्वत राशि जीएसएस परिसर में बनी दीवार के पास फेंककर भागने का प्रयास किया जिसे रूबरू मौतबिरान ब्यूरो दल द्वारा रोका जाकर रिश्वती राशि जीएसएस परिसर में बनी दीवार के पास फेंकी गई को बरामद किया गया। आरोपी श्री बजरंगदास तकनीशियन द्वितीय का उक्त आपराधिक कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) 2018 का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया है। अतः श्री बजरंगदास पुत्र श्री कानदास जाति स्वामी (साध) उम्र 26 साल निवासी चक 3 बीपीएम जिला श्री गंगानगर हाल तकनीशियन द्वितीय जीएसएस गोरछिया बेरा कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड आउ जिला फलौदी के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) 2018 के तहत बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय सादर प्रेषित है। भवदीय, (पदमपाल सिंह) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसयू जोधपुर.............कार्यवाही पुलिस....................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पदमपाल सिंह, निरीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू जोधपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री बजरंगदास पुत्र श्री कानदास जाति स्वामी (साध) उम्र 26 साल निवासी चक 3 बीपीएम जिला श्री गंगानगर हाल तकनीशियन द्वितीय जीएसएस गोरछिया बेरा कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड आउ जिला फलौदी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री चैनप्रकाश, पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितीय को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 141 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।क्रमांक 304-07 दिनांक 11.03.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर, 2.उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 3.अधीक्षण अभियन्ता (पवस) जोधपुर

डिस्काम, जोधपुर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू जोधपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** CHEN PRAKASH **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 11/03/2025 18:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	27/06/1998				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)